

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 20]  
No. 20]

नई दिल्ली, मंगल वार, अक्टूबर 20, 1970/आश्विन 28, 1892  
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 1970/ASVINA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October 1970

S.R.O. 26-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service connected with the supply of electricity in the State of Punjab to be a service of vital importance to the community

[No. F.2(52)/70/D(GS-I).]

L. DAYAL, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1970

क्र० नि० आ० 26-ई.—तारीख 19 अक्टूबर, 1970 सशस्त्र बल (आपात ड्यूटी) अधिनियम, 1947 (1947 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए

केन्द्रीय सरकार पंजाब राज्य में विद्युत के प्रदाय से संबंधित प्रत्येक सेवा को एतद्द्वारा समुदाय के लिए अत्यावश्यक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[सं० फा 2(52)/70/डी (जी एस-1)]

एल० दयाल, संयुक्त सचिव।